न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सौम्या झा

आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील सं0 24 / 2025

कालूराम पुत्र दल्ला निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण जिला दौसा

....अपीलांट

बनाम

1. मांग्या पुत्र दल्ला जाति मीना निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण –
2. बादाम देवी पत्नि चून्या जाति मीना निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

.....रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेशः राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार लवाण दिनांक 22.7.2025 जो कि नामान्तरण सं0 416 ग्राम भूडला भूतपुरा पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1 श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री सेडूराम शर्मा, सुरेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक 03 .6.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार लवाण के आदेश दिनांक 22.7.2025 जो कि नामान्तरण सं0 416 ग्राम भूडला भूतपुरापरपारित किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब कियागया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 के परिवार का सजरा इस प्रकार हैः–

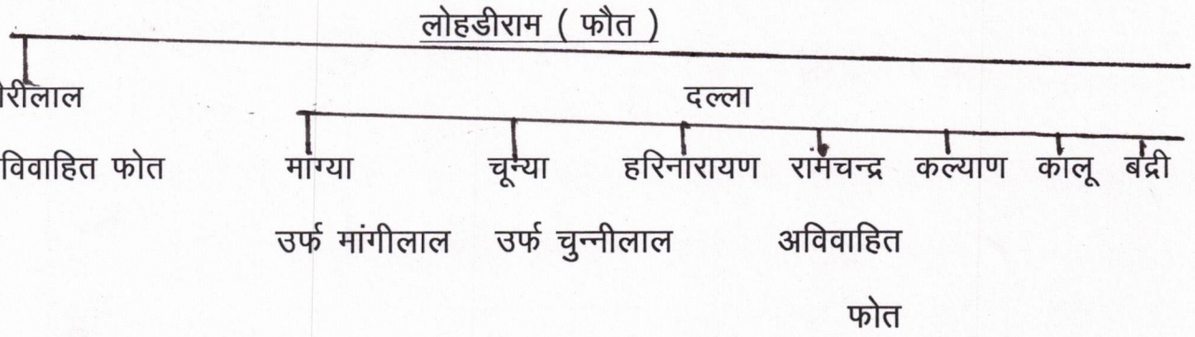

4. दल्ला पुत्र लोहंडीराम उर्फ लोहडया के 7 पुत्र थे जो निम्न थे मांग्या, चूनीराम, हरिनारायण, रामचन्द्र, कल्याण, कालू, बद्री जिनमे से रामचन्द्र अविवाहित फौत हो गया है। प्रभाणस्वरूप जांगा का दिया हुआ प्रमाण पत्र संलग्न है। दल्ला का सबसे बडा पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल है! वाके ग्राम भूडला भुतपुरिया हाल तहसील लवाण में स्थित कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 11

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 1 बिस्वा खसरा नंबर 12 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार व काबिज काश्तकार भौर्या दल्ला पिसरान 'लोहडया जाति मीना निवासी चकजगनेर हाल निवासी भूडला भूतपुरिया थे प्रमाण स्वरूप जमांबदी संवत 2035 लगायत 2038 संलग्न है। उक्त सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 11 व 12 से नये खसरा नंबर 351 लगायत 362, 380 381, 382, 406 लगायत 409 418 लगायत 420 बने हैं। भौरया पुत्र लोहडया आववाहित लाऔलाद फौत हो गया उसके कोई पुत्र पुत्री पत्नि नही है, भौरया का पहले वारिस दल्ला था और दल्लां ६ की मृत्यु के बाद दल्ला के उपर वर्णित सातो पुत्र वारिस रहे जिनमें से रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है । किन्तु रेस्पोडेन्ट् बर 1 मांग्या उर्फ मांगीलाल, दल्ला पुत्र लोहडया उर्फ लोहडीराम का सबने देख पुत्र होने व भौरया पुत्र लोहडया उर्फ लोहडीराम का पुत्र नही होने के बावजूद भी उक्त रेस्पोडेन्ट नंबर 1 मांग्या पुत्र दल्ला घर का सबसे बडा पुत्र और मुखिया और कर्ता होने के कारण उसने फर्जीवाडा करके जालसाजी करके और अपने आप को दल्ला का पुत्र होने के बावजूद भी फर्जी तरीके से भौरया का पुत्र बताकर और उक्त भूमि के भौरया पुत्र 'लोहडया की विरासत का नामान्तकरण खतरा परिशोधन के जरिये अपने नाम दिनांक 23.09.81 को इन्द्राज करवा लिया और उक्त भूमि के 1/2 हिस्से में अपने आप को मांग्या पुत्र दल्ला होने के बावजूद भी मांग्या पुत्र भौरया दर्ज करवाकर और फर्जी रिकार्ड बनवा लिया उक्त फर्जीवाडा अपीलान्ट व दल्ला' के अन्य वारिसान को नुकसान पहुचाने के लिये व अपीलान्ट व दल्ला के अन्य वारिसान के हक हिस्से की उक्त भूमि को हडपने के लिये फर्जी रिकार्ड तैयार किया है। उक्त मांग्या पुत्र दल्ला के कोई पुत्र पुत्री नही है। उक्त मांग्या की खास साली बादाम, चूनीराम की पत्नि है । जो चूनीराम मांग्या का भाई हैं । उक्त मांग्या पुत्र दल्ला ने अपने आप को फर्जी तरीके से मांग्या पुत्र भौरया बताकर और उक्त उपर वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का एक फर्जी विक्रय पत्र अपनी साली बादाम पत्नि चूनीराम के नाम तस्दीक करवा दिया और फर्जी रिकार्ड बना लिया। उक्त भूमि के 1/6 हिस्से पर मौके पर अपीलान्ट काबिज है तथा अन्य सभी भाई 1/6, 1/6 हिस्से पर काबिज है। जमीन का मौके पर बटवारा हो रहा है सडक के एक तरफ कल्याण, कालूराम, हरिनारायण की भूमि है व सडक के दूसरी तरफ चुन्नीलाल, बद्री, मांग्या की भूमि है। अपीलान्ट को उक्त फर्जीवाडे की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण मे एक दावा अनुवानी कल्याण बनाम कालूराम का अपीलान्ट को सम्मन प्राप्त हुआ और अपीलान्ट को. उक्त सम्मन के साथ दावा की कापी प्राप्त हुई उक्त दावे को दिनांक 16.08.2025 को पढवाया तो जानकारी मे आया कि उक्त दावे में मांग्या के पिता का नाम भौरया लिखा हुआ है और मांग्या का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है जबकि उक्त भूमि मे मांग्या का 1/6 हिस्सा है और मांग्या, भौरया का पुत्र नही है बल्कि दल्ला का है और तब वर्तमान जमाबंदी को देखा को जानकारी में आया कि जमाबंदी को माग्या के पिता का नाम भौरया दर्ज हो रहा है तब अपीलान्ट ने उक्त जमीन के पुराने रिकार्ड की जानकारी की व नकल हेतु दिनांक 18.08.2025 'को आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.08.2025 को मिली तब सर्वप्रथम जानकारी हुई कि मांग्या दल्ला का पुत्र होने के बावजूद उसने फर्जीवाडा करके अपने आप को भौरया का पुत्र बताकर उक्त भूमि मे अपने नाम 1 /2 हिस्सा सेटलमेन्ट के दौरान खसरा परिशोधन संख्या 8 उत्तराधिकार का भरवाकर और दिनांक 23.09.81 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी से निर्णीत करवा रखा है तथा यह भी जानकारी हुई कि उक्त मांग्या ने दल्ला का पुत्र होने के बावजूद भौरया का पुत्र बताकर और फर्जी तरीके से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का एक फर्जी 'विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 2 अपनी साली के नाम तस्दीक करवा दिया। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना वारिसान की जॉच

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये बिना व बिना कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। मांग्या, भौरया का पुत्र नही हैं बल्कि दल्ला का सबसे बडा पुत्र है और मांग्या भौरया के गोद भी नही गया है और कानूनन सबसे बडा पुत्र होने के नाते गोद जा भी नही सकता है। उक्त मांग्या ने अपने आप को घर का मुखिया व बड़ा पुत्र होने का अनुचित फायदा उठाकर मिलीभगत से अपने आप को भौरया का पुत्र बताकर नामान्तकरण खुलवाकर और विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 2 के नाम तस्दीक करवाकर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करवाकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज है तथा प्रत्येक भाई 1/6 –1/6 हिस्से पर मौके पर काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त मांग्या, दल्ला का पुत्र है इस बात का प्रमाण यह है कि जागा ने स्वंय ने लिखित मे दिया है कि मांग्या दल्ला का पुत्र है किनतु फिर भी मांग्या ने भौरया का पुत्र बनकर उक्त गलत फैसला करवाया और गलत फैसले के आधार प्राप्त खोतदारी के आधार पर विक्रय पत्र करवाकर और विक्रय पत्र का नामान्तरण खुलवाकर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय निर्णय अधीनस्थ नायब तहसीलदार लवाण दिनांक 22.7.2025 जो नामान्तरण सं0 416 ग्राम भूडला भूतपुरा पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2018(1) पेज 186, आरआरटी 2023(1) पेज 1, आरआरटी 2022(1) पेज 494, आरआरटी 2024(1) पेज 375–376, आरआरटी 2022(1) पेज 467, आरआरटी 2011(1)पेज 603, आरआरटी 2018–19 **(Supp)** पेज 145, आरआरटी 2023(2)पेज 1241, आरआरटी 2025(2) पेज 904–905, आरआरटी 2023(2) पेज 1040–1041, आरआरटी 2017(2) पेज 1104–1105 की प्रतियां पेश की गई।

5. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, भौरया के जीवनकाल से ही उसके पास रहता चला आ रहा था भौरया की मृत्यू के बाद उसके समस्त क्रिया–कर्म, नूक्ता आदि किये है जिसकी लिखावट तत्कालीन समय के जागा की पोथी मे भी है भौरया पुत्र लोहडिया की पगडी मजमे – आम तथा सभी रिस्तेदारो के सामने प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, के बांधी गयी थी इसी कारण अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया के जीवनकाल मे अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम भौरया पुत्र लोहडिया की विरासत का नामान्तकरण दौराने सेटलमेन्ट दिनांक 23/09/1981 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मजमे–आम मे गाँव के के लोगो से तथा सरपंच से पुछताछ कर अपीलान्ट के पिता दल्ला के कहे अनुसार उसकी मौजूदगी मे खोला गया है इसी के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, अपनी तीनो बुवाओ पांची, सुन्दरी, जनकी के भात–जामना व अन्य कार्यो मे अपना हिस्से 1/2 का भूगतान करता चला आ रहा है। जिसकी जानकारी आरम्भ से अपीलान्ट को रही है लेकिन मांग्या के कोई सतांन नही होने तथा उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के कारण उक्त अपील मान्य न्यायालय के समक्ष दूरभावना से प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, भौरया के जीवनकाल से ही अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है भौरया की मृत्यू के बाद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा कुए के अपने हिस्से 1/2 पर बिजली कनेक्शन मांगीलाल पुत्र भौरया के नाम से तथा 1/2 हिस्से पर बिजली कनेक्शन दल्ला पुत्र लोहडिया के नाम से हो रहा है। अपील मे विवादित भूमि भौरया, दल्ला पुत्रान लोहडिया दोनो की खरीदशुदा भूमि थी जिसमे भौरया पुत्र लोहडिया की मृत्यू के बाद जमाबन्दी खतोनी व नक्शा दुरूस्ती का एक प्रकरण मांग्या पुत्र भौरीलाल तथा दल्ला पुत्र लोहडिया द्वारा उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन रहा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है तथा दिनांक 11/09/2006 को निर्णित किया गया है उसमे भी गाँव के लोगो के बयानो मे मांग्या को भौरीलाल का पुत्र तथा वारीश माना गया है। अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया की मृत्यू के बाद दिनांक 25/05/2006 को विरासत का नामान्तकरण खोला गया है जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम दल्ला की विरासत मे नही है। अपीलार्थी ने स्वंय वर्ष 2015 मे इसी कृषि भूमि के अपने 1/12 हिस्से पर केसीसी लोन लिया है जिसका रहन का नामान्तकरण 275 दिनांक 21/12/2015 तहसीलदार लवाण द्वारा खोला गया है। अपीलान्ट कालूराम स्वयं भी मांग्या उफ मांगीलाल को भौरया का वारीश मानता है इस तथ्य का समर्थन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3/11/2023 को पुलिस थाना लवाण मे मारपीट गाली गलोच करने के बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि मांगीलाल पुत्र भौरया ने गाली गलोच की है इस प्रकार अपीलान्ट स्वंय मांगीलाल को भौरया का वारीश व पुत्र मानता है यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलान्ट के अन्य भाई कल्याण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण मे विभाजन का वाद पेश किया है जिसमे मांगीलाल को भौरया का पुत्र एवं वारीश मानकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1/2 का हिस्सेदार माना है इसी प्रकार अपीलान्ट के अन्य भाई बदरी, एवम चुन्नीराम भी मांगीलाल को भौरया का वारीश व पुत्र मानते है इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) आरआरटी पेज 1089, 2012(1)आरआरटी पेज 101, 2016(1)आरआरटी पेज 333, 2024(2)आरआरटी पेज 1383, 2024(2)आरआरटी पेज 1212, 2017(2) आरआरटी पेज 1328, 2017(2) आरआरटी पेज 787, 2024(2)आरआरटी पेज 1094, 2024(2)आरआरटी पेज 1353, 2015(1) आरआरटी पेज 369 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा गलत आधारों पर यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से मनन किया गया।
8. प्रस्तुत अपील उप तहसीलदार, लवाण द्वारा ग्राम भूडला भुतपुरा के नामांतरण संख्या 416 दिनांक 22.07.2025 के विरुद्ध है, जो पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर क्रेता बादाम देवी के पक्ष में दर्ज किया गया है।
9. अभिलेख से प्रकट होता है कि नामांतरण संख्या 416 तत्कालीन जमाबंदी में दर्ज खातेदार/विक्रेता के आधार पर, पंजीकृत विक्रय–पत्र अनुसार, यांत्रिक रूप से दर्ज किया गया है तथा प्रथम दृष्ट्या विधिसम्मत है। अपीलार्थी का वास्तविक विवाद विक्रेता मांगीलाल के वर्ष 1981 से दर्ज 1/2 हिस्से की वैधता से है, जो पृथक अपील संख्या 12/2025 का विषय है तथा समय–सीमा से बाधित पाया गया है। नामांतरण–अपील में पंजीकृत विक्रय–पत्र को फर्जी/शून्य घोषित कर निरस्त किया जाना इस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है; ऐसा अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किया जा सकता है। नामांतरण मात्र राजस्व/राजकोषीय प्रविष्टि है, स्वामित्व का सृजन नहीं करता तथा सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहता है।
10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा नामांतरण संख्या 416 दिनांक 22.07.2025 यथावत् रखा जाता है, जो सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अपीलार्थी को स्वामित्व, हिस्से अथवा विक्रय–पत्र संबंधी विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहेगी। इस आदेश से विक्रय–पत्र की वैधता पर कोई निर्णय व्यक्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियम समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official